भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 111
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: संविदा खेती

***111 श्री मलविंदर सिंह कंगः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में संविदा खेती पर प्रतिबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में संविदा खेती करने के कार्य में विभिन्न कंपनियां लगी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पंजाब में जिला-वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी कंपनियों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"संविदा खेती" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 111 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): कृषि एवं कृषि विपणन राज्य का विषय है। सरकार ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 में संविदा खेती के लिए प्रावधान किए हैं और इन्हें राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए परिचालित किया है। इसके अलावा, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा इसे अपनाने के लिए मई, 2018 में "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवा (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018" नामक एक प्रगतिशील और सुविधाजनक मॉडल अधिनियम तैयार और जारी किया है। यह मॉडल संविदा खेती अधिनियम, 2018 कृषि उपज और पशुधन के लिए सेवा संविदा सहित उत्पादन से पहले से लेकर फसल कटाई के बाद तक विपणन के लिए संपूर्ण मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है। जिन राज्यों ने अपने राज्य एपीएमसी अधिनियमों में संविदा खेती के लिए प्रावधान किए हैं, वे अपने राज्यों में संविदा खेती को कार्यान्वित कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में संविदा खेती के डेटा का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) तथा **(ड.):** संविदा खेती के संदर्भ में मॉडल कानून, 2003, अन्य बातों के साथ, प्रायोजक कंपनियों के पंजीकरण, संविदा खेती करार की रिकॉर्डिंग, किसानों की भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करता है और समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र निर्धारित करता है। विवादों के मामले में, किसान संबंधित राज्य के कानूनी ढांचे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

*****